छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक/6 जुलाई 2008

कमांक एफ 10-2/2008/16 ए :- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 कमांक 25 सन् 1958 की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के उपबंध जो नीचे दी गई सूची के स्तम्भ कालम (2) में उल्लेखित उक्त अधिनियम के उपबंध स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट, निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त सूची के कालम (1) में यथा विनिर्दिष्ट स्थापनाओं को लागू नहीं होंगे,

सूची

क्र0	स्थापना	धारा	निबंध तथा शर्तें	क्षेत्र
	1	2	3	4
1.	किराना दुकाने	धारा 9, धारा 13(1)	1. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जावेगी । 2. किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जावेगा । 3. महिला कर्मचारी को रात्रि में 9.00 बजे पश्चात नियोजित नहीं किया जावेगा । 4. कोई भी संस्थान रात्रि के 12.00 बजे पश्चात तथा प्रातः 5.00 बजे पूर्व खुला नहीं रहना चाहिए ।	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
2.	औषधिक सामग्री की दुकाने			
3.	स्पोर्ट्स सामग्री की दुकाने			
4	दैनंदनी उपयोग सामग्री की दुकाने			
5.	पैथॉलाजी सेन्टर्स			
6.	कृषि/उद्यानिकी उपकरण, मशीने, बीज कीटनाशक की दुकाने			
7.	ट्रेव्हल्स एजेंसीज			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 16/07/08

3 15:43 From: To:07712443514

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-2/2008/16 रायपुर दिनांक 16 जुलाई 2008

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
7. समस्त उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि इस माह के राजपत्र में प्रकाशन कर 25 प्रति इस विभाग को एवं 25 प्रति श्रमायुक्त कार्यालय, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें ।
9. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

16/7/2008

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

the persons working there in are not employed by the owner thereof but are wotking with the permission of or under the agreement with such owner :

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with aid of his family.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 8-2/2009/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 14 फरवरी 2011 दिन सोमवार को मतदान हेतु कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 14 फरवरी 2011 दिन सोमवार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवकाश घोषित किया जाता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है. साथ ही जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक 266/764/2010/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. 266/764/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act. 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri R. C. Sinha Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2011

क्रमांक/एफ-10-5/25-3/2010/आजावि.—माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा विविध याचिका क्रमांक/4268/1991 जटाशंकर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य चार में पारित न्यायिक दृष्टांत कि "किसान जाति को अलग से अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह माना जाए कि किसान ही नगेसिया है" के अनुपालन हेतु विभाग के पत्र क्रमांक/डी/755/आजाक/2001 दिनांक 13-3-2001 के द्वारा कलेक्टर, सरगुजा को निर्देशित किया गया था तथा कलेक्टर, सरगुजा के पत्र क्रमांक/2687/स.अ.ग./2001/277 दिनांक 16-3-2001 द्वारा समस्त संबंधित राजस्व अधिकारियों को "किसान नगेसिया" को भी अनुसूचित जनजाति मानते हुए तद्नुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, संबंधी परिपत्र प्रेषित किया गया.

2. उपर्युक्त संबंध में यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सरगुजा जिले में "किसान" जाति को "नगेसिया" जाति मानकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जबकि "किसान" जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अंकित एवं शामिल नहीं है.

(1)	(2)		(1)	(2)
622	0.13		661	0.17
623	0.12		662	0.10
624	0.16		663	0.23
625	0.15		664	0.14
626	0.17		665	0.06
627	0.36		666	0.10
630/1	0.15		667	0.06
630/2	0.13		668	0.26
632	0.30		669	0.27
633	0.23	योग	64	19.20
634	0.18			
635	0.18			
636/1	0.20			
636/2	0.20			
655	0.41			
656	0.33			
657	0.25			
659	0.17			
660	0.14			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उच्च दाब पावर पूलिंग स्टेशन/पावरग्रिड कार्पो. हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 01 जनवरी 2011

क्रमांक 01/छ. ग./दु.स्था./2011/12.—छ. ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3-क) एवं श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4514/16-ए दिनांक 09-12-1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं यू. के. मेश्राम सहायक श्रमायुक्त दुर्ग जिला-दुर्ग छ. ग., दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले शहर बेमेतरा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में छ. ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं, की दुकान एवं स्थापनाओं हेतु साप्ताहिक बंद दिवस दिन गुरुवार घोषित करता हूं.

उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

यू. के. मेश्राम,
सहायक श्रमायुक्त.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक 11/2012.—छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-13 (3-ए) के अधिकारों के प्रयोजन हेतु राज्य शासन द्वारा श्रम अधिकारी को अधिसूचना क्रमांक 4514-2459 XVI-A दिनांक 29-09-1983 के द्वारा अधिकृत किया गया है. जिला जांजगीर-चांपा के स्थानीय शिवरीनारायण क्षेत्र में शासन द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया गया. अत: शिवरीनारायण क्षेत्र में दिन मंगलवार को बंद दिवस निश्चित किया जाता है.

विकास सरोदे,
श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक/111/परि.अ./2012-13.—मैं डॉ. एस. भारती दासन (आई.ए.एस.) कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नगर पंचायत बिश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करता हूं. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया है	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर पंचायत बिश्रामपुर	09	श्री कमलकांत महतो	अनारक्षित	06-02-2013	शासकीय नौकरी में जाने के कारण

एस. भारती दासन,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

कार्यालय श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
दिनांक 30 DEC 2015
1742

पृष्ठां
1.1.15

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 23-12-2015

क्रमांक एफ 10–19/2015/16 :– छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निर्देशित करता है कि नीचे संलग्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित उक्त विधान की धाराओं के प्रावधान, उसी तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थापनों के वर्गों को स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगें :–

// अनुसूची //

स्थापनाओं का वर्ग	अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगें	निबंधन तथा शर्ते	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
सूचना प्रौद्योगिकी स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा उद्योग	धारा 9(1), धारा 11 (1) व (2), धारा 12, धारा 13 (1), धारा 25	(1) किसी भी महिला को प्रातः 7:00 बजे के पूर्व और रात्रि 9:00 बजे के पश्चात् कार्य करने हेतु नियोजित किये जाने पर निवास से कार्यस्थल पर एवं कार्यस्थल से निवास के आवागमन हेतु परिवहन एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नियोजक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। (2) प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा। (3) अधि–समय कार्य के लिये, कर्मचारी उक्त अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के तहत दुगुनी दर से वेतन पाने का हकदार होगा ।	संपूर्ण छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ALC-M
LO/ALC
newspaper
website

23/12/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

Scanned by CamScanner